

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना

विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में आवासरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन एवं विधि पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश हेतु  
**मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना दिशा-निर्देश, 2016**

प्रस्तावना :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के कई प्रतिभावान विद्यार्थी विभागीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में रहकर अध्ययन करते हैं। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च अंकों से उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश लेकर इंजिनियरिंग, विधि, प्रबन्धन एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा सं. 115 "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं - IIT, IIM, Law, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज एवं राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु जयपुर एवं कोटा शहर की चयनित संस्थाओं में प्रत्येक श्रेणी के 100-100 विद्यार्थी कुल 1 हजार विद्यार्थियों को coaching सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है।" इस घोषणा की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रतिपादित करती है :-

## अध्याय - 1

( संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र, परिभाषाएँ एवं योजना का उद्देश्य )

### 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-

- I. ये दिशा-निर्देश राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु "मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना दिशा-निर्देश, 2016" कहलायेंगे।
- II. ये दिशा-निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।
- III. ये दिशा-निर्देश जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगे।

### 2. परिभाषाएँ : जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो, तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषाएँ ही इन दिशा-निर्देश के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होंगी :-

- i राज्य सरकार से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
- ii विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- iii अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
- iv निदेशक/आयुक्त से तात्पर्य निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
- v छात्र/छात्रा से तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग का वह छात्र, जिसने मान्यता प्राप्त बोर्ड/उपक्रम से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, से है।
- vi छात्रावास से तात्पर्य ऐसे राजकीय/अनुदानित छात्रावास, जो विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, से है।

- vii आवासीय विद्यालय से तात्पर्य ऐसे आवासीय विद्यालय हैं, जो विभाग के नियन्त्रणाधीन “राईस” के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, से है।
- viii कोचिंग संस्थान से तात्पर्य ऐसी कोचिंग संस्थाओं से है, जो SOCIETIES REGISTRATION ACT 1860 अथवा राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958, इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 अथवा NATIONAL TRUSTS ACT, 1882 के तहत पंजीकृत है एवं कोटा/जयपुर में संचालित हो रही है तथा जिन्हें विभाग द्वारा उक्त योजना के लिए चयनित किया गया है, से है।
- ix राजस्थान राज्य के मूल निवासी से अभिप्राय राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से है, जिसके साक्ष्य स्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- x मूल निवास प्रमाण पत्र से तात्पर्य उस प्रमाण पत्र से है, जो राजस्थान में निवासरत व्यक्तियों को निवास की अवधि के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- xi जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य उस प्रमाण पत्र से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- xii स्वहस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित दस्तावेजों से तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की स्वयं के हस्ताक्षर से स्वहस्ताक्षरित अर्थात् स्वप्रमाणित प्रति से है।
- xiii आय का घोषणा पत्र से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-"द" में आय की घोषणा करने से है।

3. योजना के उद्देश्य : विभाग द्वारा संचालित उक्त कोचिंग योजना के निम्नांकित उद्देश्य है :-

- i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ii. विद्यार्थियों को रोजगारपरक उच्च स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समर्थ बनाने में सहायता प्रदान करना।

## अध्याय - 2

(विद्यार्थी के लिए पात्रता की शर्तें, विद्यार्थी चयन की प्रक्रिया एवं प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या)

4. विद्यार्थी के लिए पात्रता की शर्तें : योजनान्तर्गत विद्यार्थी के चयन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- i. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- ii. विद्यार्थी राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के परिवार का सदस्य हो।
- iii. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास अथवा आवासीय विद्यालयों में आवासित हो।
- iv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ने कक्षा 10 में 60 प्रतिशत या अधिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ने 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।
- v. विद्यार्थी द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडीकल/विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11 व 12 में कोटा/जयपुर के

स्थानीय राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

- vi. विद्यार्थी द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं (IIM) में प्रवेश के लिए CAT/MAT की कोचिंग के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर में कोटा/जयपुर शहर के स्थानीय राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- vii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो।
- viii. विद्यार्थियों को इंजिनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्ष के लिए तथा विधि एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग सुविधा केवल एक वर्ष के लिए देय होगी।

5. विद्यार्थी के चयन की प्रक्रिया :-

- i. इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाईन पोर्टल [sjms.rajasthan.gov.in](http://sjms.rajasthan.gov.in) पर आवेदन करना होगा।
- ii. विद्यार्थियों का चयन कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा। यदि प्राप्तांक समान है तो इंजीनियरिंग, मेडीकल एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रमों के लिए गणित व विज्ञान तथा विधि पाठ्यक्रम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांकों को वरीयता दी जायेगी।
- iii. मूल सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी।
- iv. कोचिंग संस्थानों में प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम निम्नवत होगा :
  1. प्रथम अधिमान्यता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में आवासरत विद्यार्थियों को दी जावेगी।

2. निर्धारित स्थानों के अनुरूप पात्र छात्रावासी विद्यार्थियों के उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में, द्वितीय वरीयता अनुक्रम में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त अनुदानित छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।
3. किसी श्रेणी में निर्धारित संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के वरीयता क्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।

### अध्याय - 3

(कोचिंग में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान)

- i. कोटा व जयपुर दोनों स्थानों पर सभी वर्गों के 500-500 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। इनमें से 30 प्रतिशत स्थान संबंधित श्रेणी की छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे। छात्राएँ नहीं मिलने पर रिक्त स्थान उसी वर्ग के छात्रों से भरे जा सकेंगे।
- ii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :

#### अ. जयपुर के लिए

क्र. सं.	श्रेणी	नाम पाठ्यक्रम				Total
		तकनीकी पाठ्यक्रम	मेडीकल पाठ्यक्रम	विधि पाठ्यक्रम	प्रबन्धन पाठ्यक्रम	
1	अनु. जाति	40	35	15	10	100
2	अनु. जनजाति	40	35	15	10	100
3	विशेष पिछड़ा वर्ग	40	35	15	10	100
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	40	35	15	10	100
5	सामान्य वर्ग	40	35	15	10	100
	<b>योग</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>500</b>

## ब. कोटा के लिए

क्र. सं.	श्रेणी	नाम पाठ्यक्रम				Total
		तकनीकी पाठ्यक्रम	मेडीकल पाठ्यक्रम	विधि पाठ्यक्रम	प्रबन्धन पाठ्यक्रम	
1	अनु. जाति	40	35	15	10	100
2	अनु. जनजाति	40	35	15	10	100
3	विशेष पिछडा वर्ग	40	35	15	10	100
4	अन्य पिछडा वर्ग	40	35	15	10	100
5	सामान्य वर्ग	40	35	15	10	100
	योग	200	175	75	50	500

### अध्याय - 4

( कोचिंग संस्थान हेतु पात्रता की शर्ते, कोचिंग संस्थान के चयन की प्रक्रिया एवं अनुबंध की शर्ते )

6. कोचिंग संस्थान की पात्रता के मापदण्ड :- कोचिंग संस्थान की पात्रता हेतु निम्नांकित मापदण्ड होंगे :-

- कोचिंग संस्थान SOCIETIES REGISTRATION ACT 1860 अथवा राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958, इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 अथवा NATIONAL TRUSTS ACT, 1882 के तहत पंजीकृत हो।
- कोचिंग संस्थान के पास इंजिनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग देने का तीन वर्ष का अनुभव हो।
- कोचिंग संस्थान की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो।
- कोचिंग संस्थान किसी भी विभाग से ब्लैकलिस्टेड नहीं हो।
- कोचिंग संस्थान के पास पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ व आधारभूत ढांचा हो।

7. कोचिंग संस्थान के चयन की प्रक्रिया :-

जयपुर व कोटा जिला मुख्यालयों पर संचालित कोचिंग संस्थाओं का चयन निम्न प्रक्रिया से किया जायेगा :-

- कोचिंग संस्थाओं से विज्ञापन जारी कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे।
- निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन (Scrutiny) कर पूर्ण प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

- iii. कोचिंग संस्थानों के पैनेल हेतु निदेशालय स्तर पर निम्न कमेटी द्वारा परीक्षण कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।
- |      |   |            |
|------|---|------------|
| i    | निदेशक/आयुक्त                             | अध्यक्ष    |
| ii   | जिला कलक्टर, जयपुर/कोटा                   | सदस्य      |
| iii  | अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति/जनजाति कल्याण) | सदस्य सचिव |
| iv   | वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी                | लेखा सदस्य |
| v    | उप निदेशक (राईस)                          | सदस्य      |
| vi   | उपनिदेशक, सान्याअवि, जयपुर/कोटा           | सदस्य      |
| vii  | सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास          | सदस्य      |
| viii | सहायक निदेशक (छात्रावास)                  | सदस्य      |
- iv कमेटी के कार्य निम्नानुसार होंगे :-
- प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर दोनों स्थानों हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं का पैनेल बनाया जायेगा।
  - कोचिंग संस्थाओं को विभाग द्वारा प्रति छात्र देय फीस की राशि निर्धारित की जावेगी।
  - कोचिंग संस्थान को विद्यार्थी आवंटन की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
  - उपर्युक्त प्रस्ताव का चयन कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

8. कोचिंग संस्थान से किये जाने वाला अनुबंध :- चयनित कोचिंग संस्थान से विभाग के जिलाधिकारी द्वारा अनुबंध किया जायेगा। जिसमें निम्न शर्तें निहित होंगी:-

- अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा तथा कोचिंग संस्थान की सेवायें संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
- चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- संबंधित जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा तथा किसी प्रकार की सूचना या दस्तावेज चाहे जाने पर कोचिंग संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।



- iv. चयनित विद्यार्थियों पर किये गये व्यय तथा उपस्थिति आदि के लेखों का पृथक से संधारण किया जायेगा।
  - v. विस्तृत शर्तें अनुबंध पत्र में वर्णित की जावेगी।
  - vi. चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान द्वारा पृथक से कक्षा में अध्ययन नहीं कराया जायेगा। वरन् इन विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा चलाई जा रही नियमित कक्षाओं में ही सम्मिलित कर अध्ययन कराया जायेगा।
9. कोचिंग संस्थान का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही :- यदि कोचिंग संस्थान अनुबंध में वर्णित शर्तों की पालना में असमर्थ रहती है अथवा कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं हो तो विभाग द्वारा 1 माह पूर्व नोटिस देकर संस्थान का अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।

## अध्याय - 5

(योजना की वित्तीय व्यवस्था, अनुदान सहायता, बजट आवंटन एवं नियन्त्रण की प्रक्रिया)

10. योजना हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था : चयनित विद्यार्थियों को इंजिनियरिंग/मेडिकल/विधि/ प्रबन्धन आदि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना के दिशा-निर्देश राज्य सरकार से अनुमोदन होने के उपरान्त बजटीय प्रावधान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे, बजट प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति/ सहमति दिये जाने के उपरान्त कोचिंग योजना संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
11. सुविधा/अनुदान सहायता : प्रवेशित विद्यार्थी को निम्नांकितानुसार सुविधा/अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी :-
- i. आवासीय सुविधा : कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को विभागीय छात्रावासों में आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

- ii. पात्र चयनित विद्यार्थियों को विभागीय छात्रावास में आवास हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में विभाग द्वारा मैस एवं आवास सुविधा हेतु अधिकतम 2000/- रुपये प्रतिमाह कोचिंग अवधि तक भुगतान किया जावेगा।
- iii. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी विभागीय छात्रावास/आवासीय विद्यालय में आवास हेतु स्थान उपलब्धता के उपरान्त भी अन्य स्थान पर रहना चाहता हैं, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- iv. **कोचिंग सुविधा** : स्थानीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फीस का भुगतान कोचिंग संस्थाओं को किस्तों में किया जावेगा।
- v. उक्त योजना का लाभ लेने पर विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- vi. कोचिंग संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा वरन् विभाग द्वारा कोचिंग संस्थान को शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

## 12. बजट आवंटन एवं नियन्त्रण की प्रक्रिया :-

योजना के संचालन हेतु बजट आवंटन एवं नियन्त्रण की निम्नांकित प्रक्रिया होगी :-

- i. बजट जिलाधिकारी जयपुर (शहर)/कोटा को आवंटित किया जावेगा।
- ii. आवंटित राशि के व्यय के लेखों का संधारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- iii. जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान को तीन किस्तों में क्रमशः 30 : 30 : 40 प्रतिशत में भुगतान किया जायेगा। प्रथम किस्त में 30 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में 30 प्रतिशत तथा तृतीय किस्त में 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा। प्रथम किस्त का भुगतान कोचिंग आरम्भ होने से 3 माह उपरान्त एवं द्वितीय किस्त का 6 माह उपरान्त एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कोचिंग पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।

- iv. यदि कोई पाठ्यक्रम 1 से अधिक वर्ष का है तो भी पैरा 12 (iii) में वर्णित अनुपात में वार्षिक भुगतान किया जायेगा।
- v. कोचिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों से विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- vi. कोचिंग संस्थान के कोचिंग कार्यक्रम का विभाग द्वारा निम्नानुसार गठित समिति द्वारा प्रत्येक सत्र में न्यूनतम दो बार निरीक्षण/विजिट किया जावेगा :
  - i अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति/जनजाति कल्याण), मुख्यावास।
  - ii लेखाधिकारी (बजट), मुख्यावास।
  - iii उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
  - iv सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
  - v सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।

उक्तानुसार गठित कमेटी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान का निरीक्षण/विजिट कर अपनी रिपोर्ट निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।

## अध्याय - 6

(योजना का क्रियान्वयन, योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा एवं मूल्यांकन,  
दिशा-निर्देशों का विनिर्णय)

### 13. योजना का क्रियान्वयन :

- i. योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- ii. निदेशालय स्तर से चयनित विद्यार्थी यदि स्थानीय विद्यालय में प्रवेशित नहीं है तो स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में जिलाधिकारी द्वारा सहयोग किया जावेगा।
- iii. कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिमाह न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर ही संबंधित संस्थाओं को भुगतान किया जावेगा।
- iv. कोचिंग संस्थान में प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना, कोचिंग संस्थान द्वारा विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जावेगी।

- v. किसी विद्यार्थी की 80% से कम उपस्थिति रहने पर विद्यार्थी का नाम भी कोचिंग से हटा दिया जायेगा तथा विद्यार्थी की उस माह की कोचिंग संस्थान को देय राशि का भुगतान कोचिंग संस्थान को नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि विद्यार्थी परिस्थितिजन्य कारणों से अनुपस्थित रहता है तो ऐसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार-विमर्श कर उचित निर्णय किया जायेगा।
  - vi. कोचिंग संस्थान द्वारा प्रतिदिन कम से कम 3 घण्टे की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।
  - vii. कोचिंग की अवधि व समय-सारणी का निर्धारण पाठ्यक्रम की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए कोचिंग संस्थान एवं संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
14. योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा एवं मूल्यांकन :- योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जायेगी। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारी/विभागीय जिलाधिकारी/ मूल्यांकन विभाग के माध्यम से दो वर्ष में एक बार योजना का मूल्यांकन करवाया जावेगा।
15. दिशा-निर्देशों का विनिर्णय :- इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।
16. दिशा-निर्देश में परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन :- उक्त वर्णित दिशा-निर्देशों में, समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन किया जा सकेगा।

(अशोक जैन)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
13. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
14. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
15. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय (समस्त)
19. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
20. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
23. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
24. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (समस्त) को भेजकर लेख है कि आपकी जिले की समस्त छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
25. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त)को भेजकर लेख है कि आवासीय विद्यालय /अन्य शिक्षण संस्थाओं में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
26. प्रभारी अधिकारी ..... प्रशाखा, मुख्यावास।

(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव